

File No. अधि-1208/1/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6170)

1/9425/2022

1/9425/2022

**कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून**  
 वनादेश सं० 15 / 1-13(13) H.R.D. देहरादून दिनांक, // नवम्बर 2022

**पदोन्नति/तैनाती आदेश**

इस कार्यालय के पत्रांक 1/8678/2022/1-13(H.R.D.) दिनांक 28-10-2022 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 03-11-2022 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित प्रधान सहायकों, वेतनमान 35,400-1,12,400 लेवल 6 की प्रशासनिक अधिकारी, वेतनमान 44,900-1,42,400 लेवल 7 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में जनहित में की जाती है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री हरीश चन्द्र आर्य	प्र०व०, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं, नैनीताल
2	श्री दिनेश पंत	मु०वु०सं०, वन अग्नि एवं आपदा प्रबंधन, देहरादून	मु०वु०सं०, वन अग्नि एवं आपदा प्रबंधन, देहरादून
3	श्रीमती नीतू बोरा	मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना हल्द्वानी	मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना हल्द्वानी
4	श्री दीपक बिष्ट	प्र०व० अ०भू०सं०वन प्रभाग रामनगर	प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून
5	श्री हिम्मत सिंह रजवाड़	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर	निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर
6	श्री विजयपाल सिंह गुसाईं	प्र०व०, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी	प्र०व०, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायगी।

2. संबंधित कर्मचारी अपनी पदोन्नति आदेश प्रभावी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. कार्मिक की पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

Signed by Vinod Kumar

Date: 10-11-2022 17:58:29

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

File No. अधि-1-1208/1/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 6170)

1/9425/2022

1/9425/2022

वनरक्ष सं० 15

पत्र सं० 1/9425/2022(1) / 1-13(13) H.R.D. तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, देहरादून।
2. संबंधित मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- ✓ 6. मु0व0सं0, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक, HoFF

ITCL  
वनरक्ष सं० 15  
मे, 1/12/22  
11/11/22